ग्राम पंचायत बसनूर, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बसनूर, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती शकुन्तला देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री प्रकाश चन्द	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री संदीप कुमार	01.04.13 से 20.8.13
	श्री शमशेर सिंह	21.8.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत बसनूर के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	8	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता–(क) में अन्तरित न करना	0.73
2	9	अनुदान का उपयोग न करना	17.46
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	5.00

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बसनूर, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 19.11.16 से 29.11.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 6/13, 2/15 व 10/15 तथा 6/13, 10/14 व 7/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बसनूर, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 197 दिनांक 29.11.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत बसनूर से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत बसनूर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत बसनूर के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	144666	133759	278425	158621	119804
2014–15	119804	188130	307934	164806	143128
2015–16	143128	183285	326413	119220	207193

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत बसनूर के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	534863	4578061	5112924	4525595	587329
2014–15	587329	3975901	4563230	3938251	624979
2015–16	624979	3372746	3997725	2251343	1746382
दिनांक 31.3.2016 को स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)					**₹1953575**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	अनुदान का नाम	के0सी0सी0 रैत स्थित बैंक खाता सं0	राशि
1	मनरेगा	20040018170	0
2	IAY	50051780317	750
3	3rd State Fin	20040016286	210090
4	S.K. Relief	50051780395	97353
5	VMJS	50051780453	77802
6	SDP	5005170339	59430
7	MPLAD	50051780408	111483
8	TSC	50051780373	11930
9	13th Fin	50051780351	1173041
10	12th Fin	20040018422	4355
11	AAY	50051780328	148
12	Sabha Nidhi	20040018400	207193
		कुल	**₹1953575**

(1) अन्तशेष का विवरणः–

(क)	दिनांक 31.3.16 की वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹1953575
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	₹1953575

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–(क) के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और ऋण मानी

जाएगी। इस आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–(ख) जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बहियाँ व 12 बैंक बचत खाते खोले गए थे जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही बैंक बचत खातों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.73 लाख को खाता "क" में अन्तरित न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है।

निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

		वर्ष		
खाता संख्या	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**कुल ब्याज (₹)**
20040018171	3830	236	–	4066
50051780317	436	641	–	1077
20040016286	8103	14872	9640	32615
50051780395	214	573	1678	2465
50051780453	1067	1411	1990	4468
50051780339	1570	717	1898	4185
50051780408	–	3794	4595	8389
50051780373	647	699	1834	3180
50051780351	3928	705	6656	11289
20040018433	1012	162	169	1343
50051780328	26	35	87	148
जोड़	**20833**	**23845**	**28547**	**73225**

9 अनुदान ₹17.46 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1746382 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 नियमों के विरूद्ध बारह बैंक खातों का खोला जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में समस्त अनुदानों को जमा करवाए

जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार बारह बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन दस अतिरिक्त बैंक खातों को बन्द करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.00 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट—2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹500630 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹12.10 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1210000 लाख का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए सहभागी समिति गठित करनी सुनिश्चित की जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

14 अनियमित भुगतान बारेः–

(सामान्य निधि कैश बुक पेज संख्या 18)

(क) वाउचर संख्या 53 दिनांक 23.8.14 के अन्तर्गत मस्ट्रोल संख्या 633 दिनांक 7/2011 दिनांक 5.7.11 से 15.7.11 मजदूरी ₹2978 का भुगतान किया गया अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मस्ट्रोल पर पंचायत की प्रस्ताव संख्या व दिनांक आदि अंकित नहीं है तथा वर्ष 2011 का भुगतान 2014 में किया जाना आपत्तिजनक व अनियमित है। अतः उपरोक्त भुगतान समय पर न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट किए जाए व अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जाये।

(ख) मनरेगाः–

वाउचर संख्या 20 दिनांक 6.5.13 के अन्तर्गत श्री विरेन्द्र कुमार को सीमेन्ट स्टोर का किराया चैक नं0 334317 दिनांक 6.5.13 ₹5000/–का भुगतान दर्शाया गया था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित भुगतान से सम्बन्धित पंचायत में कोई भी कार्यवाही नहीं गई है तथा भुगतान से सम्बन्धित पंचायत में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है तथा भुगतान से सम्बन्धित वाउचर/भुगतान प्रधान द्वारा भी सत्यापित नहीं था।

अतः बिना पंचायत की कार्यवाही व प्रधान के सत्यापन से भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी उचित छानबीन करने उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—**यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 72 / 2017—खण्ड—1—2282—2285 दिनाँकः 20.04.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत बसनूर, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

(परिशिष्ट–2)

ग्राम पंचायत बसनूर विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(पैरा–11 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	19/5.6.13 48/5.7.13	सभा निधि	मै0 सूर्याशक्ति इनर्जी शिष्टम दाडी से 4 सोलर लाईट की खरीद का भुगतान (20500X4)	82000
2	84 व 85/ 9.10.13	सभा निधि	–यथोपरि–	82000
3	151/6.2.14	सभा निधि	–यथोपरि– (7X₹20000)	140000
4	73/5.9.13	सभा निधि	मै शर्मा उत्तम चन्द अनूप नाग से 4500 ईन्टों की खरीद	27000
5	147/6.2.14	सभा निधि	श्री मोहिन्द्र सिंह को रेत बजरी पत्थर आदि का भुगतान	58025
6	105/26.10.13	सभा निधि	श्री अमर नाथ से ईन्ट, रेत, बजरी आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	20000
7	50/15.10.14	मनरेगा	श्री अजय कुमार से रेत, बजरी, शटरिंग आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	18875
8	51/15.10.14		–यथोपरि–	20325
9	52/15.10.14		–यथोपरि–	15000
10	53/15.10.14	मनरेगा	श्री अविनाश चौधरी द्वारा बजरी आदि का भुगतान	15390
11	55/15.10.14	मनरेगा	श्री राजेश कुमार द्वारा रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति	22015
			कुल	**₹500630**

(परिशिष्ट–3)

सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन

(पैरा–12 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	राशि
1	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड नर्सरी (Nursery) स्कूल से (परमिन्द्र लैंड से) सरवन के घर तक	400000
2	VMJS	निर्माण पुली कांगू नाला लिंक रोड नौशहरा से भागलु	280000
3	VMJS	निर्माण लिंक रोड तरलोक के घर से पुहाला (वार्ड 9)	230000
4	मनरेगा	निर्माण कुहल खरन्दी राम की जमीन से प्रीतम के घर तक	150000
5	मनरेगा	निर्माण कूहल मलाचन की ढंगाल से दर्जी के घर तक	150000
		कुल	**₹1210000**

G.P. Basnur